यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन
राज्य नोडल सेल, यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. रायपुर
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांकः 25.09.2012

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवायें द्वारा निर्धारित जिलों में यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन व लेखा कार्यो के संपादन हेतु स्वीकृत लेखा सह कार्यक्रम सहायक तथा निर्धारित जिला अस्पतालों में फिजियोथैरेपी क्लिनिक के सुचारू रूप से संचालन हेतु फिजियोथैरेपिस्ट (पुरूष एवं महिला) तथा क्लिनिक अटेण्डेंट की संविदा भर्ती निर्धारित अवधि अथवा परियोजना अवधि (जो भी पहले हो) तक किया जाना है, इस हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र अनुसार आवेदन पत्र राज्य नोडल अधिकारी, यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम, कार्यालय कक्ष क्र. 304–306 तृतीय तल, लालगंगा शॉपिंग मॉल, जी.ई. रोड़ रायपुर, पिन कोड–492001 के पते पर सम्पूर्ण योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांकः 25.09.2012 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में भी देखा तथा डाउनलोड किया जा सकता है।चयन प्रकिया अनुसार मेरिट सूची के निर्धारित उम्मीदवारों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया जावेगा तथा तत्पश्चात् चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुसंशा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रेषित की जावेगी तथा अनुसंशा मान्य होने पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जावेगी।

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	आयु (01.09.2012 की स्थिति में)	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव	अतिरिक्त वांछनीय योग्यता/अनुभव	एकमुश्त मासिक वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	लेखा सह कार्यक्रम सहायक कुल पद–18	अनारक्षित – 08 अ.ज.जा. – 06 अ.जा. – 02 अ.पि.व. – 02	आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक। टैली में न्यूनतम छः माह का प्रमाण पत्र। लेखा कार्यो का न्यूनतम 2 वर्षो का अनुभव।	वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर/एमबीए उपाधि। शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा शासन से अनुदान प्राप्त व शासकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली संस्था में संबंधित कार्यानुभव।	रू. 12,000/–
2	फिजियोथैरेपिस्ट – पुरूष कुल पद–18	अनारक्षित – 08 अ.ज.जा. – 06 अ.जा. – 02 अ.पि.व. – 02	आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में स्नातक तथा न्यूनतम 2 वर्षो का क्लिनिकल अनुभव।	फिजियोथैरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि।	रू. 13,000/–
3	फिजियोथैरेपिस्ट – महिला कुल पद–18	अनारक्षित – 08 अ.ज.जा. – 06 अ.जा. – 02 अ.पि.व. – 02	आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में स्नातक तथा न्यूनतम 2 वर्षो का क्लिनिकल अनुभव।	फिजियोथैरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि।	रू. 13,000/–
4.	क्लीनिक अटेंडेन्ट– (चतुर्थ श्रेणी) कुल पद–18	अनारक्षित – 08 अ.ज.जा. – 06 अ.जा. – 02 अ.पि.व. – 02	आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो।	मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण।	फिजियोथैरेपी क्लिनिक में संबंधित कार्यानुभव।	रू. 6,000/–

उपरोक्त पदों हेतु चयन की विधि तथा आवश्यक निर्देश :–

पद	चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक निर्देश
लेखा सह कार्यक्रम सहायक	1. उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित के आधार पर बनायी गई मेरिट सूची के अनुसार किया जावेगा। स्नातक (वाणिज्य) के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अंक, स्नातकोत्तर (वाणिज्य)/एमबीए की उपाधि होने पर 05 अंक, तथा निर्धारित न्यूनतम कार्यअनुभव के अलावा अतिरिक्त कार्यानुभव पर प्रति वर्ष 02 अंक के आधार पर अधिकतम 05 वर्षो हेतु 10 अंक की पात्रता होगी। शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा शासन से अनुदान प्राप्त व शासकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली संस्था में लेखा कार्यो का न्यूनतम 2 वर्षो का कार्यानुभव होने पर उम्मीदवार को 05 अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी। 2. निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा संबंधित कार्य अनुभव न होने की दशा में आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे। 3. मेरिट सूची अनुसार चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं पदस्थापना हेतु विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाकर काउंसिलिंग हेतु बुलाया जावेगा। 4. चयनित उम्मीदवारों को जिला नोडल अधिकारी, यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम को लेखा कार्यों तथा मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन रिपोटिंग आदि में सहयोग प्रदान करना होगा। तथा जिला नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
फिजियोथैरेपिस्ट – पुरूष/महिला	1. उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित के आधार पर बनायी गई मेरिट सूची के अनुसार किया जावेगा। उम्मीदवारों का चयन स्नातक (फिजियोथैरेपी, BPT) में प्राप्तांक का 85 प्रतिशत अंक, स्नातकोत्तर (फिजियोथैरेपी, MPT) की उपाधि होने पर 05 अंक तथा निर्धारित न्यूनतम कार्यअनुभव के अलावा अतिरिक्त कार्यानुभव पर प्रति वर्ष 02 अंक के आधार पर अधिकतम 05 वर्षो हेतु 10 अंक की पात्रता होगी। 2. फिजियोथैरेपी की स्नातक परीक्षा में प्रत्येक अतिरिक्त Attempt (प्रयास) हेतु 1 अंक की कटौती की जावेगी इस हेतु Attempt Certificate अथवा स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। काउंसलिंग के समय दस्तावेजों के परीक्षण से Attempt की पुष्टि की जावेगी। 3. चयनित उम्मीदवारों को संबंधित जिला अस्पताल में फिजियोथैरेपी क्लिनिक में निर्धारित मूलभूत सेवायें प्रदाय की जानी होंगी। 4. निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा संबंधित कार्य अनुभव न होने की दशा में आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे। 5. मेरिट सूची अनुसार चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं पदस्थापना हेतु विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाकर काउंसिलिंग हेतु बुलाया जावेगा। 6. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के अधीन की जावेगी तथा फिजियोथैरेपी क्लिनिक में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
क्लीनिक अटेंडेण्ट – (चतुर्थ श्रेणी)	1. उम्मीदवारों के चयन हेतु मूलनिवासी/स्थानीय निवासी के आधार पर जिलेवार मेरिट सूची निम्नांकित वेटेज (महत्व) देते हुये बनाकर किया जावेगा। कक्षा पॉचवी के प्राप्तांकं का 85 प्रतिशत अंक तथा निर्धारित संबंधित कार्यअनुभव पर प्रति वर्ष 03 अंक के आधार पर अधिकतम 05 वर्षो हेतु 15 अंक की पात्रता होगी। 2. मेरिट सूची अनुसार चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं पदस्थापना हेतु संबंधित विभागीय वेबसाईट के माध्यम से एवं **बुलावा** पत्र भेजकर काउंसिलिंग हेतु बुलाया जावेगा। 3. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के अधीन की जावेगी तथा फिजियोथैरेपी क्लिनिक में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी पदों हेतु भर्ती के संबंध में नियम एवं शर्ते :–

1. उपरोक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
2. उपरोक्त सभी पद पूर्णतः अस्थायी हैं तथा संविदा सेवा शर्तों के अधीन है।
3. आवेदक को छ.ग. का मूलनिवासी/स्थानीय होना अनिवार्य है।
4. आवेदक को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवेदक आवेदन पत्र के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल निवासी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन का प्रारूप वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** में भी उपलब्ध है।

6. लिफाफे के उपर आवेदित पद नाम व जाति–वर्ग स्पष्ट रूप से लिखा जावे अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।
7. जन्म तिथि हेतु 10+2 दसवीं अथवा पाँचवी के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। सत्यापित एवं वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।
9. आवेदक की आयु की गणना दिनाँक 01.09.2012 के आधार पर की जावेंगी।
10. सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए संविदा नियुक्ति के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी तथा अन्य आवेदकों व आरक्षित वर्गों के आवेदकों के लिए शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट लागू होगी।
11. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
12. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से 1 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
13. पदों का आरक्षण शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।
14. छ.ग. शासन के नियमानुसार महिला, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण लागू होंगे।
15. क्षैतिज आरक्षित पदों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में यदि योग्य उम्मीदवार मेरिट सूची के आधार पर मिल जाता है तो उस प्रवर्ग के क्षैतिज आरक्षित पदों के विरूद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा।
16. क्षैतिज आरक्षित पदों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने की स्थिति में उस प्रवर्ग के अन्य योग्य उम्मीदवार को लिया जावेगा।
17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित छानबीन समिति से जारी जाति प्रमाण पत्र की, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत उम्मीद्वारों को उन संस्थानों के नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र, काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होने/अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
20. आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
21. व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
22. डाक में विलंब के कारण प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा एवं उन आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिया जावेगा।
23. मेरिट आधार पर बनायी गई प्रतीक्षा सूची दिसम्बर 2013 तक के लिए वैद्य रहेगी।
24. उम्मीदवारों के चयन हेतु आवश्यकता पड़ने पर लिखित, कौशल अथवा मौखिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
25. अभ्यार्थी को काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
26. चयन प्रक्रिया में संचालक द्वारा निर्धारित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
27. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण बताएं किसी या समस्त आवेदनों को अमान्य अथवा निरस्त कर सकते हैं। तथा संपूर्ण चयन प्रक्रिया को भी निरस्त कर सकते हैं।
28. किसी भी स्तर से व्यक्तिगत संपर्क अथवा दबाव डलवाने पर आवेदक को अपात्र घोषित किया जा सकता है।
29. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.का होगा।
30. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति संविदा सेवा भर्ती के अधीन दिसंबर 2013 तक के लिए होगी तथा इस अवधी के पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
31. नियुक्त किये गये उम्मीदवार प्रथम 2 माह हेतु परिवीक्षा अवधि पर कार्यरत् रहेंगे तथा परिवीक्षा अवधि पश्चात् संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अनुसंशा भेजने पर ही नियुक्ति निरंतर मान्य की जावेगी अन्यथा मेरिट आधार पर बनायी गई प्रतीक्षा सूची के अन्य उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जावेगा।

राज्य नोडल अधिकारी,
यूरापियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदक इसे स्वच्छ अक्षरों में स्वयं भरें)

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

प्रति,

राज्य नोडल अधिकारी
यूरोपियन संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नामः– ....

2. आवेदक का नाम – (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में):–..

3. पिता / पति का नाम – ....

4. जन्मतिथि (अंको में) – ....शब्दों में ....
   दिनांक 01.09.2012. की स्थिति में आयु:– ....वर्ष .... माह .... दिन.....................

5. लिंग :– महिला / पुरूष ....

6. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? ....

7. वर्ग (अनु.जाति / अनु.जनजाति / अ.पि.व. / सामान्य) उल्लेख करें ....

8. क्या आप निःशक्त हैं? .... यदि हॉ. तो, निःशक्तता का प्रतिशत ....
   एवं निःशक्तता का प्रकार (अस्ति / श्रवण / दृष्टि / अन्य)– ....
   (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

9. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? .... (यदि हॉ तो प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

10. क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं:– ....

11. शैक्षणिक योग्यता–(शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5.						

12. फिजियोथेरेपी की स्नातक परीक्षा में कुल अतिरिक्त Attempt -........................ (केवल फिजियोथेरेपी पुरुष / महिला पद हेतु लागू)

13. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक– ....नवीनीकरण तिथि – ....

जिला रोजगार कार्यालय का नाम – ....

(प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. पत्राचार का पता –..

....

15. दूरभाष / मोबाईल नम्बर .... ई–मेल आईडी (यदि हो तो) ....

16. स्थायी पता – ....

....

17. आवेदक विवाहित है / नहीं ? ....

विवाह की तिथि ....

जीवित बच्चों की संख्या एवं उनकी जन्म तिथियॉ ....

18. संबंधित कार्य अनुभव का विवरणः–

पद का नाम	कार्यालय / संस्था का नाम	अवधि कब से कब तक	कर्तव्य
1.		.... से	
2.			
3.			
4.			

कुल संबंधित कार्य अनुभव की अवधि ....

19. क्या देश विदेश में किसी भी विधि न्यायालय
द्वारा दोषी ठहराया गया है यदि हॉ तो विवरण दें :– ....

सहपत्रः– राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्रों की सूची विवरण सहित –

1..., 2.. 3..,

4..., 5.. 6..,

7..., 8.. 9..,

20. अभ्यर्थी का घोषणा पत्र–

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की गती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन से वंचित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह आवेदन विज्ञापन को पढ़कर एवं समझकर भरा है। विज्ञापन में दिये गये नियमों के अनुसार मुझे.................. .... के पद आवेदन करने की पात्रता है, जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थानः– ....

दिनांकः– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम– ....